

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141-2707679 ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक:- प- ()रा.मु./21-22/ 7146

दिनांक: 4/3/2022

सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड)

जिला मुख्यालय, समस्त।

विषय:- राज्य स्तरीय प्रेसीडेन्ट स्काउट जांच शिविर दिनांक 11 से 15 मार्च, 2022

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर द्वारा प्रेसीडेन्ट स्काउट प्रमाण-पत्र के लिए राज्य स्तरीय जांच शिविर का आयोजन स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर एवं पुष्करघाटी, अजमेर पर दिनांक 11 से 15 मार्च, 2022 तक किया जा रहा है।

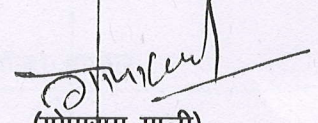
सभी चयनित स्काउट्स की सूची स्काउट/गाइड वेबसाइट www.scoutsguides.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। शिविर में संभागियों को निम्नांकित सूचनाओं एवं पूर्ण तैयारी के साथ भिजवावें :-

1	शिविर का नाम	राज्य स्तरीय प्रेसीडेन्ट स्काउट प्रमाण-पत्र राज्य स्तरीय जांच शिविर अजमेर के सम्भागी जिले- अजमेर मण्डल, जोधपुर मण्डल, बीकानेर मण्डल एवं उदयपुर मण्डल जयपुर के सम्भागी जिले- जयपुर मण्डल, भरतपुर मण्डल तथा कोटा मण्डल
2	तिथियां	11 से 15 मार्च, 2022
3	स्थान जयपुर	स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर (जयपुर रेल्वे स्टेशन एवं पोलीविकट्री सिनेमा हॉल से जगतपुरा जाने वाली 7 नं. मिनी बस से जगतपुरा शिविर केन्द्र पर पहुँचा जा सकेगा। किराया लगभग 40/ से 50/ रु. प्रति व्यक्ति) सम्पर्क सूत्र - श्री बन्ना लाल (STC) - 8003097156 श्री गणेश प्रसाद गुर्जर CO(S) - 9784412094
4	स्थान अजमेर	स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्करघाटी, अजमेर (रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड, अजमेर से पुष्कर जाने वाली बसों से 12 मील पुष्कर घाटी उतरकर शिविर केन्द्र पहुँच सकेंगे।) सम्पर्क:- श्री मनमोहन सर्वणकार - 8003097175
5	पहुँच	संभागियों को दिनांक 11 मार्च, 2022 को प्रातः 8 बजे तक पहुँचना आवश्यक है। देरी से आने वाले संभागियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6	प्रस्थान	दिनांक 15 मार्च, 2022 को सांयकाल 4 बजे बाद प्रस्थान कर सकेंगे।
7	शुल्क	विकास शुल्क 100 रु. प्रति स्काउट 200 रु. प्रति युनिट लीडर जमा करवाना होगा। पंजीकरण शुल्क 80 रु. प्रति संभागी स्काउट व युनिट लीडर को जमा करवाना होगा। कुल 180 रु. प्रति स्काउट व 280 रु. प्रति युनिट लीडर जमा कराये।
8	यात्रा व्यय	राज्य मुख्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संभागियों को यात्रा भत्ता विद्यालय कोष से देय होगा।
9	भोजन	शिविर में संभागियों की भोजन व्यवस्था शिविर में एसोसिएशन द्वारा की जावेगी। खाना खाने एवं चाय पीने के बर्तन साथ लावें।
10	आवश्यक सामग्री	1. यूनिफार्म - एपीआरओ. पार्ट - II के अनुसार 2 जोड़ी स्काउट यूनिफार्म साथ लानी होगी। जिस पर सभी बैज लगे हुए हों। 2. मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, बरसाती, टार्च, पैन, पेंसिल, ग्राउण्ड शीट, रबड़, स्कैल, स्कैच पैन, लॉग बुक, रिपोर्ट, जांच शिविर संबंधी सामग्री। 3. जांच शिविर के लिए आवश्यक सामग्री।

11.	राज्य स्तरीय प्रेसीडेन्ट स्काउट जांच शिविर संबंधित सामग्री आवश्यक रूप से साथ लानी है:- 1. प्रेसीडेन्ट स्काउट आवेदन फार्म व इन्फोरमेशन शीट की प्रति। 2. व्यक्तिगत टेस्ट कार्ड। 3. जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित हो। 4. पासपोर्ट साइज की रंगीन 2 फोटो जो स्काउट यूनिफार्म में हो। 5. राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र की फोटो प्रति। 6. दक्षता बैजों से संबंधित प्रमाण पत्र एवं लॉगबुक, पायनियरिंग, फर्स्ट एड की जांच सामग्री। 7. इन्फोरमेशन शीट के अनुसार समाज सेवा, सामुदायिक सेवा, हाइक, खेल खिलाने की रिपोर्ट साथ लानी होगी। 8. मान सभा का प्रमाण पत्र एवं सेवा कार्य की डायरी जो प्रत्येक सप्ताह में प्रस्तुत की गई है।
-----	---

उक्त प्रमाण पत्र प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर एवं सर्कल ऑर्गेनाइजर से प्रमाणित होना आवश्यक है।
अतः चयनित स्काउट्स की पूर्ण जांच कर तैयारी के साथ शिविर में सम्मिलित करावें।
सधन्यवाद।

भवदीय,


(गोपाराम माली)

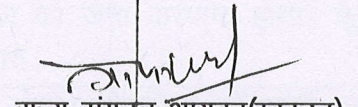
राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)

क्रमांक:- प- ()रा.मु./21-22/ 7147-52

दिनांक: 04/03/2022

प्रतिलिपि:- आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. राज्य पदाधिकारीगण, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
2. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट), राज्य प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा, जयपुर।
3. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), मण्डल मुख्यालय समस्त को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल क्षेत्र के स्काउट्स/रोवर्स को पूर्ण तैयारी हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. जिला मुख्यायुक्त, जिला मुख्यालय, जयपुर।
5. सहायक प्रोग्रामर राज्य मुख्यालय जयपुर को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्राचार्य/संस्था प्रधान.....


राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)